

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/117/25

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/133

प्रवेश तिथि
09.04.2025

निर्णय दिनांक
17.04.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

- बाबूलाल पुत्र श्योराम,
- भोमा उर्फ भोमी पुत्र मुखन,
जातियान गुर्जर निवासीयान सीरावास तहसील अलवर जिला अलवर राज०।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 20
(2) परन्तुक भू-आवंटन नियम,
1970

उपस्थित:—

- 01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक
02— अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

—वकील प्रार्थी

निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-20 (2) परन्तुक भूमि नियमन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न० 1286/672 रकबा 0.68 है०, 1285/672 रकबा 0.28 है०, 672/1325 रकबा 0.40 है० किता 3 रकबा 1.36 है० भूमि का नियमन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 20 (2) परन्तुक दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। तामील कुलिंदा द्वारा तामील में अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र श्योराम व भोमा उर्फ भोमी पुत्र मुखन जातियान गुर्जर नि० सीरावास मौके पर मौजूद मिले, लेकिन तामील लेने हेतु इन्कार किया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा न० 1286/672 रकबा 0.68 है०, 1285/672 रकबा 0.28 है०, 672/1325 रकबा 0.40 है० किता 3 रकबा 1.36 है० भूमि दिनांक 08.04.2022 को अप्रार्थीगण को वास्ते कृषि कार्य के लिये नियमन किया गया था जिस आधार पर नामा० दर्ज हो कर जमाबंदी में अमल हो चुका है। उक्त आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पूर्णतया पालना नहीं की गई है एवं तथ्यों को छुपाया गया है जो कि एक गंभीर त्रुटि है।

उल्लेखनीय है कि उक्त नियमन राजस्व ग्राम सीरावास तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है जिसे श्रीमान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) महोदय अलवर द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भी पुष्ट किया गया है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20(2) परन्तुक के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक


जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नियमन दिनांक 08.04.2022 के द्वारा अप्रार्थीगण को किया गया आराजी हाल खसरा न0 1286/672 रकबा 0.68 है0, 1285/672 रकबा 0.28 है0, 672/1325 रकबा 0.40 है0 किता 3 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम सीरावास का नियमन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 08.04.2022 के द्वारा जारी नियमन आदेश (नियम-15) से अप्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र भोमाराम व भोमा उर्फ भोमी पुत्र मखन जातियान गुर्जर सा. सीरावास को हाल खसरा न0 1286/672 रकबा 0.68 है0, 1285/672 रकबा 0.28 है0, 672/1325 रकबा 0.40 है0 किता 3 रकबा 1.36 है0 भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई है एवं तथ्यों को छुपाया गया है, तथा आवंटन/नियमन सरिस्का वन क्षेत्र के बफर जोन अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में नियम विरुद्ध किया गया है। उक्त नियमन राजस्व ग्राम सीरावास तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है, जिसे श्रीमान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भी पुष्ट किया गया है। प्रार्थी के अनुसार प्रकरण प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों में आती है जिसे दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी नियमन आदेश दिनांक 08.04.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 20(2) परन्तुक भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का नियमन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 20(2) परन्तुक भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र श्योराम व भोमा उर्फ भोमी पुत्र मखन जातियान गुर्जर निवासीयान सीरावास तहसील व जिला अलवर को हाल आराजी खसरा न0 1286/672 रकबा 0.68 है0, 1285/672 रकबा 0.28 है0, 672/1325 रकबा 0.40 है0 किता 3 रकबा 1.36 है0 भूमि के लिए गए नियमन आदेश दिनांक 08.04.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)